राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः प.7 (04) परि/नियम/मु./92/05/ 7613 जयपुर, दिनांकः– 20/4/16

कार्यालय आदेश..14.../2016

राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 5.19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार द्वारा दिनांक 28.02.2004 को भार यानों द्वारा प्रमाण पत्रों के स्थान पर संयुक्त प्रमाण पत्र रखने की ऐच्छिक योजना लागू की गई थी। इसके अतिरिक्त योजना के संबंध में विभाग द्वारा समय–समय पर कार्यालय आदेश भी जारी किये गये थे। कार्यालय आदेश 22/2015 दिनांक 27.07.2015 द्वारा **'संयुक्त प्रमाण पत्र योजना–2004'** को यथावत् रखते हुये इसके संबंध में जारी समस्त आदेशों को प्रत्याहूत (Withdraw) कर लिया गया।

यह संज्ञान में लाया गया है कि अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा संयुक्त प्रमाण पत्र योजना को ही अस्तित्त्व में न बताया जाकर भार यानों को संयुक्त प्रमाण पत्र जारी नही किये जा रहे है।

उक्त संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि भार यानों द्वारा प्रमाण पत्रों के स्थान पर संयुक्त प्रमाण पत्र रखने की ऐच्छिक योजना दिनांक 28.02.2004 पूर्वानुसार ही प्रभावी है। अतः भार वाहनों के संबंध में संयुक्त प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए संयुक्त प्रमाण पत्र जारी किये जावें।

(पवन कुमार गोयल)
प्रमुख शासन सचिव
एवं परिवहन आयुक्त

क्रमांकः प.7 (04) परि/नियम/मु./92/05/ 7614–18 जयपुर, दिनांकः–20/4/16

प्रतिलिपिः

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त।
2. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
3. प्रादेशिक/ अति. प्रादेशिक/ जिला परिवहन अधिकारी (समस्त)।
4. श्री संजय सिघंल, सिस्टम एनालिस्ट को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)